

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:प.4 (iv) कृ.यंत्र/2015-16/ 4006-15

दिनांक: 29/3/2016

वित्तीय स्वीकृतिआदेश

आयुक्तालय के आदेश क्रमांक प.4(iv)कृ.यंत्र/2015-16/ 3789-98 दिनांक 15.03.2016 द्वारा "कस्टम हायरिंग केन्द्र मण्डोर" पंचायत समिति मण्डोर जिला जोधपुरकी स्थापना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृति के आधार पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल एण्ड मीडियम एन्टरप्राइजेज सिटी क्रेडिट सेल जोधपुर द्वारा "देवड़ा कस्टम हायरिंग केन्द्र" के नामसे श्री ब्रह्मसिंह देवड़ा एवं श्री ललित देवड़ा निवासी उजोर सागर, मण्डोर, पंचायत समिति मण्डोर जिला जोधपुर पंचायत समिति मण्डोर जिला जोधपुरको अनुमोदित कृषि यंत्रों के क्रय हेतु ऋण स्वीकृति पत्रांक ए.डी.बी./एस.एम.ई.सी.सी.सी./2014-15 दिनांक 25.03.2016 द्वारा राशि रु. 10,00,000/- मात्र(अक्षरे रूपये दस लाख मात्र) की एफ.बी.डब्ल्यू.सी. लिमिट की स्वीकृति मुद्रा योजना के अन्तर्गत प्रदान की गई है।

ऋण प्रदाता बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति पत्र में उल्लेखित कस्टम हायरिंग केन्द्र के नाम के अनुरूपपूर्व में जारी प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित कस्टम हायरिंग केन्द्र का नाम "कस्टम हायरिंग केन्द्र मण्डोर" के स्थान पर "देवड़ा कस्टम हायरिंग केन्द्र" पंचायत समिति मण्डोर जिला जोधपुरकिये जाने की स्वीकृति आवेदक द्वारा उप निदेशक, कृषि (वि०) जिला परिषद जोधपुर कार्यालय को शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने के अध्याधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना हेतु आयुक्तालयद्वारा जारी दिशा-निर्देश क्रमांक प.4(iv) कृ.यंत्र/2015-16/ 822-912 दिनांक 15.06.2015 के अन्तर्गत कस्टम हायरिंग केन्द्र हेतु अनुमोदित कृषि यंत्रों की लागत राशि की 40% राशि बैंक एन्ड सब्सिडी (Back and subsidy) के रूप में स्वीकृत किये जाने के प्रावधान है। उक्त प्रावधान के अध्याधीन "देवड़ा कस्टम हायरिंग केन्द्र" पंचायत समिति मण्डोर जिला जोधपुरके अन्तर्गत राशि रु. 4,00,000/- मात्र (अक्षरे रूपये चार लाख मात्र) का भुगतान बैंक एन्ड सब्सिडी (Back and subsidy) के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल एण्ड मीडियम एन्टरप्राइजेज सिटी क्रेडिट सेल जोधपुरको किये जाने हेतु उप निदेशक, कृषि (वि०) जिला परिषद जोधपुर को एतद् द्वारा अधिकृत किया जाता है।




(डॉ० नीरज कुमार पवन)
आयुक्त एवं पदेन
विशिष्ट शासन सचिव, कृषि

क्रमांक:प.4 (iv) कृ.यंत्र/2015-16/4006-15

दिनांक: 29/3/2016.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक, कृषि (आदान) मुख्यालय, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, कृषि, मुख्यालय, जयपुर।
4. खण्डीय संयुक्त निदेशक, कृषि (वि0), जोधपुर।
5. उप निदेशक, कृषि (वि0), जिला परिषद जोधपुर को उनके पत्रांक 19042-45 दिनांक 27.03.2016 के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि आवेदक से कस्टम हायरिंग केन्द्र के नाम परिवर्तन का शपथ पत्र प्राप्त कर प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों की पालना सुनिश्चित कराते हुये वित्तीय स्वीकृति के आधार पर बैंक एन्ड सब्सिडी का सम्बन्धित बैंक शाखा को भुगतान करे।
6. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर/सहायक जन संपर्क अधिकारी मुख्यालय, जयपुर।
7. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल एण्ड मीडियम एन्टरप्राइजेज सिटी क्रेडिट सेल जोधपुरजरिये उप निदेशक, कृषि (वि0), जिला परिषद जोधपुर।
8. श्री ब्रह्मसिंह देवड़ा एवं श्री ललित देवड़ा निवासी उजोर सागर, मण्डोर, पंचायत समिति मण्डोर जिला जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि कस्टम हायरिंग केन्द्र के नाम परिवर्तन का शपथ पत्र उप निदेशक, कृषि (वि0) जिला परिषद जोधपुर कार्यालय को प्रस्तुत करे तथा "देवड़ा कस्टम हायरिंग केन्द्र" पंचायत समिति मण्डोर जिला जोधपुरकी स्थापना हेतु कार्यवाही पूर्ण करे।
9. आरक्षी पत्रावली।



(एल. एन. कुमावत)

अतिरिक्त निदेशक, कृषि (विस्तार)